भारत सरकार   लोक सभा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय   अतारांकित प्रश्न सं. 2372

वाणिज्य विभाग

दिनांक 21 दिसंबर,2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

आईएनएयूएस-ईसीटीडीए

2372. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल में हस्ताक्षरित भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (आईएनएयूएस-ईसीटीडीए) को ऑस्ट्रेलिया की संसद की मंजूरी की आवश्यकता थी;

(ख) यदि हां, तो क्या ऑस्ट्रेलिया की संसद ने इस समझौते को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया के लिए शुल्क समाप्त करने के लिए किन-किन मदों की पहचान की गई है;

(घ) क्या इस समझौते से मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिलने और भारतीय विद्यार्थियों को ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश और नौकरियां मिलने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत-यूके व्यापार समझौते की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): जी हां,। भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए) पर 2 अप्रैल, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। ऑस्ट्रेलियाई संसद ने इस समझौते को मंजूरी दे दी है। यह समझौता 29 दिसंबर, 2022 को प्रभावी होगा।

(ग): भारत ज्यादातर कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं पर या तो टैरिफ उन्मूलन, टैरिफ दर कोटा के साथ या टैरिफ दर कोटा के बिना टैरिफ में कटौती के रूप में रियायतें दे रहा है। भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया के लिए टैरिफ उन्मूलन/टैरिफ में कटौती के लिए पहचान की गई वस्तुओं की सूची वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**https://commerce.gov.in/wp-content/uploads/2022/06/02A-2-Schedule-Australia.pdf**

(घ): जी हां। इस समझौते से ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है।

समझौते के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों के लिए 4 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, भारतीय रसोइयों और योग प्रशिक्षकों के लिए प्रति वर्ष 1800 का कोटा; युवा पेशेवरों के लिए काम और छुट्टी वीजा की व्यवस्था; इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़रीज़, संविदात्मक सेवा प्रदाताओं और स्वतंत्र कार्यकारियों के लिए 4 साल तक के लिए अस्थायी प्रवेश और अस्थायी वास की प्रतिबद्धता प्रदान करेगा।

विवरण वाणिज्य विभाग की वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक **https://commerce.gov.in/international-trade/trade-agreements/ind-aus-ecta/** पर उपलब्ध हैं।

(ड.) भारत और यूके जनवरी 13,2022 से एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत कर रहे हैं। अब तक छह दौर की बातचीत हो चुकी है।

xxxxxxx

भारत सरकार | लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. 2430
वाणिज्य विभाग

दिनांक 21 दिसंबर,2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

लौह अयस्क का निर्यात

2430 श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अक्टूबर 2022 में भारत का लौह अयस्क निर्यात लगभग शून्य था;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या यह सच है कि चीन से कम मांग के दृष्टिगत लौह अयस्क के निर्यात में कमी बनी रहेगी; और
(घ) यदि हां, तो इस वित्तीय हानि को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): जी नहीं। अक्टूबर 2022 में भारत का लौह अयस्क निर्यात 1,85,518 टन था जिसका मूल्य 7.83 मिलियन अमरीकी डालर था।

(ग) लौह अयस्क का निर्यात मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग, वैश्विक आर्थिक विकास आदि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर है।

(घ) 19 नवंबर 2022 को, भारत सरकार ने '58 प्रतिशत से कम एफई सामग्री' वाले लौह अयस्क, लौह अयस्क पैलेट्स, पिग आयरन और कुछ स्टील उत्पादों पर निर्यात शुल्क वापस ले लिया है। किए गए उपायों से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

*****

भारत सरकार | लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. 2440
वाणिज्य विभाग

दिनांक 21 दिसंबर,2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु मे निर्यात में वृद्धि

2440. डॉ.एम.के. विष्णु प्रसाद:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में निर्यात वृद्धि के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या पहल की गई है ;

(ख) तमिलनाडु में अब तक इसके लिए स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) अब तक निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया दी गई है;

(घ) क्या इन पहलों के बाद तमिलनाडु में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने तमिलनाडु में इन पहलों की दिशा में एक और कदम के रूप में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) : तमिलनाडु में निर्यात वृद्धि के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

(1) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (**एपीडा**) द्वारा उठाए गए कदम:

i. वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि निम्नलिखित घटकों जैसे (i) निर्यात अवसंरचना का विकास (ii) गुणवत्ता विकास और बाजार विकास के अन्तर्गत निर्यातकों को सहायता देकर कृषि उत्पादों के निर्यातकों को सुविधा प्रदान करना ।

ii. विदेशों में भारतीय मिशनों/दूतावासों के सहयोग से क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) का आयोजन किया। वर्चुअल ट्रेड फेयर (वीटीएफ) और वर्चुअल बीएसएम मीट, जिसमें तमिलनाडु के निर्यातकों और जीआई उत्पादकों ने प्रतिभागिता की।

iii. "आजादी का अमृत महोत्सव" के तहत तमिलनाडु के हितधारकों के लिए कृषि निर्यातक सम्मेलन वस्तुतः आयोजित किया गया था। लगभग 200 प्रतिभागियों ने, जिसमें केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेन्सियों, निर्यातकों, एसोसिएशनों और एफपीओ के हितधारक शामिल थे, इस कान्क्लेव में भाग लिया।

iv. रोड शो को सुविधाजनक बनाने, व्यापार/बाजार पहुंच पर चर्चा करने, आयातकों आदि के साथ बी2बी बैठकें आयोजित करने आदि के लिए एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल को विभिन्न आयातक देशों में ले जाया गया है।

v. तमिलनाडु राज्य के एपीडा निर्यातकों को सभी अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने की सुविधा प्रदान की गई।

(2) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (**एम्पीडा**) ने निम्नलिखित को स्थापित किया है:

i. निर्यात और निर्यातोन्मुखी जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य में चेन्नई में एक क्षेत्रीय प्रभाग और तूतीकोरिन और नागपट्टिनम में एक उप क्षेत्रीय प्रभाग।

ii. नागपट्टिनम और पट्टुकोट्टई में दो एलिसा (एन्जाइम लिंक्ड इम्यूनो ऐस्से) स्क्रीनिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की है जो प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स की उपस्थिति की जांच के लिए फार्म्ड झींगा/मछली की गुणवत्ता जांच आयोजित करती हैं।

(3) मसाला बोर्ड द्वारा की गई पहलों में तमिलनाडु में मसाला क्षेत्र के हितधारकों को लाभान्वित करते हुए, कटाई के बाद के सुधार और मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करना शामिल हैं। मसालों के निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता सुधार और इलायची अनुसंधान और विकास के लिए एकीकृत योजना के तहत- वित्त वर्ष 2021-22 से, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा तमिलनाडु राज्य में विभिन्न कार्यक्रम लागू किए गए हैं:

i. मिर्च और हल्दी के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और भंडारण के लिए सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के साथ शिवगंगा, तमिलनाडु में एक स्पाइसेस पार्क की स्थापना की।

ii. मिर्च और अन्य मसालों के हितधारकों के लिए क्रेता विक्रेता बैठकें (बीएसएम) और विभिन्न संबंधित विभागों के सहयोग से गुणवत्ता सुधार, उद्यमिता विकास आदि के उद्देश्य से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

iii. चेन्नई और तूतीकोरिन में दो गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ (क्यूईएल) स्थापित की गईं।

(4) टी बोर्ड के तत्वावधान में, यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया दक्षिण भारत की चाय की गुणवत्ता विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए हर साल "गोल्डन लीफ इंडिया अवार्ड: सदर्न टी प्रतियोगिता" आयोजित कर रहा है।

(5) कॉफी बोर्ड भारतीय कॉफी की सुदृढ़ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल मीडिया अभियानों के माध्यम से ब्रांड निर्माण और प्रचार अभियानों में सहायता करता है। बोर्ड कई बिचौलियों के बिना प्रत्यक्ष निर्यात के लिए कॉफी उत्पादकों और उद्यमियों के लिए एक मंच बनाने के लिए एक ऊष्मायन कार्यक्रम 'विक्रयम' का आयोजन करता है।

(6) निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) के तहत, केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को सीमा हाट, भू सीमा शुल्क स्टेशन, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशाला, कोल्ड चेन, व्यापार संवर्धन केंद्र निर्यात भंडारण और पैकेजिंग, एसईजेड और बंदरगाह/हवाई अड्डे कार्गो टर्मिनसेस आदि जैसे महत्वपूर्ण निर्यात लिंकेज वाली अवसंरचना परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

(7) "डिस्ट्रिक्ट्स ऐज एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव" (डीईएच) के तहत, वाणिज्य विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के माध्यम से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और जिलों के साथ काम करता है ताकि पहचाने गए उत्पादों के निर्यात/जिलों से सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए संस्थागत तंत्र तैयार किया जा सके। इस पहल के तहत, तमिलनाडु के सभी जिलों में कृषि और औद्योगिक उत्पादों सहित निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की गई है

(ख) से (घ):

टीआईईएस के तहत तमिलनाडु में अनुमोदित परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

(राशि करोड़ में)

टीआईईएस के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	**स्वीकृत परियोजनाओं के लिए टीआईईएस का कुल हिस्सा**	**आज की तारीख तक जारी किया गया कुल टीआईईएस अनुदान**
17	174.01	111.90

तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु से कुल निर्यात अधोलिखित है-

वित्तीय वर्ष	**निर्यात मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)**	**% वृद्धि**
2020-21	26.15	-
2021-22	35.17	34.48
2022-23 (अप्रैल-अक्टूबर)	23.13	19.09

स्रोत: डीजीसीआईएस

(ङ): एपीडा ने राज्य से कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एपीडा ने नाबार्ड, एसएफएसी, एनएएफईडी, एनसीडीसी आदि के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और राज्य से निर्यात संवर्धन के लिए कई संवेदीकरण/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2301

<u>दिनांक 21 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार

2301. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) आम नागरिकों को अवसंरचना क्षेत्र में निवेश का अवसर देने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए, भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार करार (ईसीटीए) पर वार्ता की गई और दिनांक 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए । यह करार 29 दिसंबर 2022 को लागू होगा । भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए सम्बंधी विवरण वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक https://commerce.gov.in/international-trade/ trade-agreements/ind-aus-ecta/ पर उपलब्ध है ।

सरकार ने ऑस्ट्रेलिया को तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाली भारतीय आईटी फर्मों की अपतटीय आय के कराधान को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलियाई घरेलू कराधान कानून में संशोधन करने हेतु ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ सफलतापूर्वक वार्ता की है। यह उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा और उनके व्यापार राजस्व को बढ़ाने का काम करेगा ।

भारत और ऑस्ट्रेलिया निवेश पर एक अंतरराष्ट्रीय करार करने के लिए वार्ता कर रहें हैं।

व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट इंडिया का एक डेस्क भी बनने की तैयारी में है।

(ख): सरकार ने भारत निवेश ग्रिड (आईआईजी) (https://indiainvestmentgrid.gov.in/) आरंभ किया है, जो एक खोज-योग्य गतिशील पोर्टल है जो भारत में सभी क्षेत्रों से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की निवेश योग्य परियोजनाओं को प्रदर्शित करता है । आईआईजी एक स्वतंत्र अवसर खोज मंच के रूप में कार्य करता है, जो संभावित निवेशकों को सीधे परियोजना मालिकों/प्रबंधक से जुड़ने की अनुमति देता है। नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) भी अनन्यत: आईआईजी पर आयोजित की जाती है ।

सेबी ने इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्ट्मेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) और समय-समय पर संशोधित रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी) विनियम, 2014 के माध्यम से आम नागरिकों को अवसंरचना क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति देने के लिए उपाय किए हैं।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2313

<u>दिनांक 21 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

जीसीसी के साथ व्यापार

2313. श्री नव कुमार सरनीया :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) के साथ भारत के व्यापार में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान भारत से खाड़ी देशों को किए गए कुल निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत की जरूरतों और आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है जो गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) के साथ भारत के व्यापार का आधार है;

(घ) क्या खाड़ी देशों के कुल क्षेत्रफल के लगभग आधे हिस्से में अनिवासी भारतीय रहते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.)क्या भारत और कतर ने स्टार्ट-अप क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट कतर के बीच एक एक स्टार्ट-अप ब्रिज शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या असम की चाय इन खाड़ी देशों को भी निर्यात की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) भारत और जीसीसी के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2020-21 में 87.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 154.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो साल-दर-साल आधार पर 77.06% की वृद्धि दर्ज करता है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, अप्रैल-अक्टूबर 2022 की अवधि के लिए, भारत और जीसीसी के

बीच द्विपक्षीय व्यापार 111.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2021-22 की इसी अवधि के दौरान 79.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर था । यह साल-दर-साल आधार पर 40.53% की वृद्धि है। वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान, भारत और जीसीसी के बीच द्विपक्षीय व्यापार कम्पाउण्डेड वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर 10.57% बढ़ा है।

(ख) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान जीसीसी को भारत के निर्यात का विवरण इस प्रकार है:

जीसीसी को भारत का निर्यात							
मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में							
क्र.सं.	**देश**	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	**अप्रैल-अक्टूबर 2022**
1	बहरीन	0.56	0.74	0.56	0.53	0.90	0.45
2	कुवैत	1.37	1.33	1.29	1.05	1.24	0.85
3	ओमान	2.44	2.25	2.26	2.36	3.15	2.77
4	कतर	1.47	1.61	1.27	1.28	1.84	1.14
5	सऊदी अरबिया	5.41	5.56	6.24	5.86	8.76	6.20
6	संयुक्त अरब अमीरात	28.15	30.13	28.85	16.68	28.04	18.25
	जीसीसी कुल	**39.39**	**41.62**	**40.47**	**27.76**	**43.93**	**29.66**

स्रोत: डीजीसीआईएस

(ग)भारत और छह जीसीसी देश बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य हैं। भारत और यूएई ने हाल ही में एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) संपन्न किया है जो 01 मई 2022 से प्रभावी हुआ। डब्ल्यूटीओ/द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते में किसी अन्य भागीदार देश की तरह, जीसीसी देशों के साथ व्यापार भी मौजूदा व्यापार समझौतो के अंतर्गत भारत और संबंधित भागीदार देशों के संगत सीमा शुल्क कानूनों एवं क्रियाविधियों का अनुपालन करना आवश्यक बनाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा शुल्क, तकनीकी मानक, स्वच्छता और फाइटोसैनेटिक उपाय, निर्यात और आयात लाइसेंसिंग उपाय, लेबलिंग, पैकेजिंग और विपणन आवश्यकताएं और भारत और भागीदार देशों के कोई अन्य प्रासंगिक नियम और विनियम शामिल हैं।

(घ) खाड़ी देशों में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए अंतिम आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में खाड़ी देशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की अनुमानित संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	देश	देश में रहने वाले अनिवासी भारतीयों की अनुमानित संख्या
1.	बहरीन	3.08 लाख
2.	कुवैत	9.24 लाख
3.	ओमान	6.53 लाख
4.	कतर	8.44 लाख
5.	सऊदी अरब	21.60 लाख
6.	संयुक्त अरब अमीरात	35.54 लाख

(ड.) जी हां। इन्वेस्ट इंडिया, दोहा, कतर में भारत के दूतावास और इन्वेस्ट कतर के सहयोग से एक स्टार्टअप ब्रिज शुरू किया गया है। 5 जून 2022 को दोहा में आयोजित भारत-कतर बिजनेस फोरम के दौरान भारत-कतर स्टार्टअप ब्रिज का शुभारंभ तत्कालीन माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा किया गया था। इन दो तेजी से विकसित और लगातार बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्रों के सहयोग के परिणामस्वरूप दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक विकास और समृद्धि होगी। इस स्टार्टअप ब्रिज की अधिक जानकारी निम्नलिखित पर ऑनलाईन उपलब्ध है:

https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/international/india-qatar-bridge.html

(च) जी हां, असम चाय सहित भारत चाय जीसीसी को निर्यात की जाती है। वित्त वर्ष 2021-22 में, जीसीसी को भारतीय चाय का निर्यात वित्त वर्ष 2020-21 में 76.20 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 107.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 40.66% की वृद्धि है। चूंकि चाय के व्यापारी निर्यातक जीसीसी देशों सहित विभिन्न देशों में स्थित विभिन्न खरीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए असम सहित विभिन्न क्षेत्रों से चाय को मिलाकर, मिश्रित चाय का निर्यात करते हैं, इसलिए जीसीसी देशों को असम चाय निर्यात की सही मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2344

दिनांक 21 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

कृषि निर्यात नीति

2344. श्री श्रीधर कोटागिरी :
श्री संजय काका पाटील :
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि निर्यात नीति को कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित लक्ष्यों, समय-सीमा और उपलब्धियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन में सुधार के लिए संबंधित हितधारक के साथ परामर्श आयोजित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ) जी हाँ। सरकार ने 2018 में एक व्यापक कृषि निर्यात नीति (एईपी) प्रस्तुत की थी, जो कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की जा रही गतिविधियों का आधार बनती है। कृषि निर्यात 2019-20 में 35.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 50.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो 18.78% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज करता है। सरकार ने एईपी को क्रियान्वित करने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य/जिला स्तर पर कई कदम उठाए हैं। राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और कई राज्यों में राज्य स्तरीय निगरानी समितियां (एसएलएमसी), कृषि निर्यात के लिए नोडल एजेंसियां और क्लस्टर स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश और उत्पाद-विशिष्ट कार्य योजनाएं भी तैयार की गईं हैं। सरकार एईपी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित निर्यात हब पहल के रूप में जिला का उपयोग करने की प्रक्रिया में भी है। निर्यात हब के रूप में जिला पहल के तहत, राज्य सरकारों सहित हितधारकों के परामर्श से देश भर के सभी 733 जिलों में निर्यात क्षमता वाले कृषि उत्पादों सहित उत्पादों की पहचान की गई है। 28 राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों में राज्य निर्यात रणनीति तैयार की गई है। डीईएच पहल के तहत बनाया गया संस्थागत ढांचा हितधारकों के साथ नियमित परामर्श के लिए एक मंच प्रदान करता है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन है, जिसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिदेश है। एपीडा अपनी निर्यात संवर्धन योजना के विभिन्न घटकों के तहत निर्यातकों को सहायता प्रदान कर रहा है।

वाणिज्य विभाग निर्यातों, जिनमें कृषि उत्पादों का निर्यात भी शामिल है, को बढ़ावा देने के लिए बाजार पहुँच पहल (एमएआई) योजना, एपीडा की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) आदि के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इसके अलावा, किसानों, किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों को निर्यातकों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक किसान कनेक्ट पोर्टल विकसित किया गया है। निर्यात-बाजार लिंकेज प्रदान करने के लिए क्लस्टरों में क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित की गई हैं। निर्यात के अवसरों का आकलन और दोहन करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित बातचीत की गई है। भारतीय मिशनों के माध्यम से देश विशिष्ट बीएसएम भी आयोजित किए गए हैं।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 2351

दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

समुद्री खाद्य पदार्थ, कॉयर और काजू का निर्यात

2351: एडवोकेट ए.एम. आरिफः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वित्तीय वर्षों में देश से समुद्री खाद्य पदार्थ (सी–फूड), कॉयर और काजू के निर्यात का ब्यौरा और मूल्य क्या है;

(ख) क्या सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि देश से समुद्री उत्पाद की खेप चीन सहित आयातक देशों द्वारा उन देशों में वित्तीय संकट के कारण अस्वीकार की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समुद्री उत्पाद निर्यातकों जिनकी पूर्व–सहमति वाली खेपों को आयात करने वाले देशों द्वारा बिना कोई कारण बताए लेने से मना कर दिया गया है, को राहत प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का निर्यातोन्मुख उद्योगों में आधारभूत श्रमिकों के कल्याण हेतु विदेशी निर्यात से प्राप्त आय का एक निश्चित प्रतिशत उपयोग करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

***

(क): पिछले पांच वर्षों में समुद्री उत्पाद / सी–फूड भोजन, कॉयर और काजू के निर्यात का वर्षवार मूल्य इस प्रकार हैः

अमरीकी मिलियन डालर में मूल्य

वस्तुएं	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
समुद्री उत्पाद / सी–फूड	7389.22	6802.56	6722.07	5962.39	7772.36
कॉयर और कॉयर विनिर्मिति	325.77	327.38	340.42	476.63	569.00
काजू	922.41	654.43	566.82	420.43	453.08

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस

(ख) और (ग): चीन सहित आयातक देशों द्वारा भारत से समुद्री उत्पादों की खेपों को अस्वीकार कर दिया गया है।

आयात करने वाले देश के विनियमों का प्रत्यक्ष रूप से अनुपालन न करने के कारण अस्वीकृतियां की जाती हैं। सरकार में सक्षम एजेंसियां जैसे समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) और निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), इकाइयों के निलंबन, उच्च परीक्षण आवश्यकताओं जैसे रद्द करने के उपाय करने हेतु सुविधा प्रदान करती हैं, यदि वे आयात करने वाले देशों द्वारा लागू किए जाते हैं।

(घ): विदेशी निर्यात से आय निर्यातकों को उपार्जित होती है और सरकार इस आय से खर्च नहीं करती है। हालांकि, 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)' उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना, पता लगाने की क्षमता आदि में महत्वपूर्ण कमियों का समाधान करती है। इसके अलावा, मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्रों की महत्वपूर्ण अवसंरचना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2018–19 के दौरान मात्स्यिकी विभाग, भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और निजी क्षेत्र को रियायती वित्त प्रदान करने के लिए 7522.48 करोड़ रुपये की कुल निधि के साथ मात्स्यिकी और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) की स्थापना की है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 2385

दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

नए बाजारों की खोज

2385. श्री राजा अमरेश्वर नाईकः

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):

श्री भोला सिंहः

डॉ. टी.आर. पारिवेन्धरः

श्री विनोद कुमार सोनकरः

डॉ. सुकान्त मजूमदारः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने एक बहु–आयामी योजना तैयार की है जिसमें प्रमुख बाजारों में मांग की कमी के बीच आउटबाउंड शिपमेंट को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश और नए बाजारों की खोज शामिल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) को स्टील, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर भी विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या मंत्रालय पारंपरिक बाजारों से परे पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के साझा बाजार, पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय और मर्कोसुर, चिली, कोलंबिया और पेरु जैसे लैटिन अमेरिकी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के अवसरों की तलाश कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे अन्य कदम क्या हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): सरकार विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात निष्पादन की नियमित रुप से समीक्षा करती है और निर्यात निष्पादन को बढ़ावा देने के लिए समय–समय पर पहलकारी उपाय किए जा रहे हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(i) विदेश व्यापार नीति (2015–20) 31.03.2023 तक बढ़ा दी गई है।

(ii) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी 31.03.2024 तक बढ़ाया गया है।

(iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

(iv) श्रम उन्मुख वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से लागू की गई है।

(v) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है।

(vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्‌गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

(vii) विशिष्ट कार्य योजनाओं के अनुपालन द्वारा सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और उनमें विविधता लाने के लिए 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान की गई है।

(viii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके, इन उत्पादों का निर्यात करने में आने वाली अड़चनों को दूर करके और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए जिलों को निर्यात हब के रूप में लांच किया गया है।

(ix) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।

(x) कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए बैंकिग और वित्तीय क्षेत्र में विभिन्न राहत उपायों के माध्यम से, घरेलू उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई, जिनका निर्यात में प्रमुख हिस्सा है, को सहायता देने के लिए पैकेज की घोषणा की गई।

(xi) कतिपय अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और आर्थिक साझेदारी सम्पन्न करने पर कार्य किया जा रहा है।

(ग) और (घ): आरओडीटीईपी स्कीम को दिनांक 15.12.2022 से अध्याय 28,29,30 और 73 से संबंधित रसायन, भेषज और लौहा एवं इस्पात क्षेत्र की वस्तुओं द्वारा किए गए निर्यातों हेतु लागू किया गया है।

(ड.) और (च): भारत ने अपने व्यापारिक साझेदारो के साथ अब तक 13 मुक्त व्यापार समझौते और उनके उत्पादों को तरजीही अभिगम प्रदान करने हेतु 6 तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए) किए है। भारत ने हाल ही में तीन समझौते नामतः भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता, भारत–संयुक्त अरब अमीरात व्यापक साझेदारी समझौता, भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, भारत, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और कनाडा सहित अपने कुछ व्यापारिक साझेदारों के साथ एफटीए विचार–विमर्श में भी सक्रिय रुप से व्यस्त है। साझेदार देशों के साथ व्यापार वार्ताएं भारत के निर्यात और अन्य व्यावसायिक अवसरों हेतु बेहतर बाजार अभिगम प्राप्त करने के लिए गतिशील और निरंतर प्रक्रिया है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2462

दिनांक 21 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

गैर-बासमती चावल का निर्यात

2462. श्री बी.बी.पाटील:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से अन्य देशों को निर्यात किए जाने वाले चावल में गैर-बासमती चावल की बड़ी मात्रा होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार देश में गैर-बासमती चावल की बिक्री को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): बासमती चावल भारत-गंगा के मैदानी इलाकों तक सीमित उत्पादन आधार युक्त एक प्रीमियम जीआई-टैग वाला उत्पाद है। इसकी उच्च कीमत के कारण, बासमती चावल अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक विशिष्ट उत्पाद है। चूंकि भारत में उत्पादित चावल की अन्य सभी किस्मों को गैर-बासमती चावल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए उनका निर्यात भारत से चावल के कुल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है।

(ख) और (ग): गैर-बासमती चावल का उपयोग आबादी के एक बड़े हिस्से द्वारा मुख्य आहार के रूप में किया जाता है और भारत में पहले से ही इसका एक बड़ा उपभोग आधार है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *215

दिनांक 21 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिये जाने के लिए

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2022

***215. श्री सु. थिरुनवुक्करासरः**
श्री रवनीत सिंहः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल ही में संपन्न भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022, दिल्ली में देश और विदेश से भाग लेने वाले व्यापारियों की कुल संख्या, इसमें शामिल होने वाली आम जनता और व्यापार आगंतुकों की संख्या कितनी-कितनी है तथा इसमें कितनी मात्रा में व्यापार सृजित हुआ और सरकार द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया;
(ख) क्या वर्ष के दौरान इस मेले के माध्यम से सृजित व्यापार पिछले तीन वर्षों और 2023 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में बहुत अधिक है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आगामी वर्षों में व्यापार में और सुधार करने तथा आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कदम क्या हैं;
(घ) क्या व्यापार समुदाय और आम जनता की भारी प्रतिक्रिया के दृष्टिगत आगामी वर्षों में मेले की अवधि बढ़ाने का भी प्रस्ताव है ; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

'अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2022' के सम्बंध में लोक सभा में दिनांक 21 दिसंबर,2022 को उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं.215 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क): इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) का आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (आईटीपीओ) द्वारा प्रगति मैदान में दिनांक 14 नवंबर, 2022 से 27 नवंबर, 2022 तक 14 दिनों की अवधि के लिए किया गया था।

घरेलू :
निजी प्रतिभागियों के अतिरिक्त, कुल 29 भारतीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (अनुबंध I) और 53 सरकारी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि (अनुबंध II) ने अपने संबंधित पेवेलियनों के माध्यम से इस आयोजन में भाग लिया। प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों के माध्यम से प्रदर्शकों की कुल संख्या लगभग 3200 होने का अनुमान है।

विदेशी :
आईआईटीएफ 2022 में 13 देशों के लगभग 57 प्रदर्शकों ने भाग लिया। इसमें अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, चीन, ईरान, किर्गिज़ गणराज्य, नेपाल, तुर्की गणराज्य, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम के प्रदर्शक शामिल हैं।

आगंतुक :
आईआईटीएफ में आगंतुकों की कुल संख्या लगभग 10 लाख थी जिसमें लगभग 328 विदेशी व्यापार आगंतुक और लगभग 66057 घरेलू व्यवसाय आगंतुक शामिल थे।

व्यापार की मात्रा :
आईटीपीओ मेले के दौरान सृजित व्यापार की मात्रा का संकलन नहीं करता है। तथापि, इस आयोजन में आगंतुकों की संख्या और प्रदर्शकों से सामान्य फीडबैक के आधार पर, यह आशा की जाती है कि आईआईटीएफ में लगभग 900-1000 करोड़ रुपए का व्यवसाय सृजन हुआ।

आईआईटीएफ 2022 से सरकार द्वारा उत्पन्न राजस्व :
आईटीपीओ होने वाले लेनदेन का रिकॉर्ड नहीं रखता है। अत:, प्रदर्शकों द्वारा किए गए लेनदेन पर सरकार द्वारा अर्जित जीएसटी/राजस्व का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। आईटीपीओ द्वारा अर्जित राजस्व का अनंतिम अनुमान 65 करोड़ रुपये है।

(ख): आईटीपीओ मेले के दौरान सृजित व्यवसाय की मात्रा का संकलन नहीं करता है। मेले में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण विगत वर्ष की तुलना में अधिक कारोबार होने की आशा है। तथापि, आईआईटीएफ को रिसपांस दर्शाने वाले कुछ विवरण अनुबंध-III में दिए गए हैं।

(ग) : आईटीपीओ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और व्यवसाय करने में आसानी के लिए डिजिटल और नगदी रहित लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इस आयोजन में अधिक विदेशी भागीदारी को आकर्षित करने का प्रस्ताव करता है। इसके अलावा, आईटीपीओ द्वारा एक नया अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर (आईईसीसी) विकसित किया जा रहा है। यह आईआईटीएफ सहित आईटीपीओ द्वारा आयोजित विभिन्न आयोजनों में भाग लेने के लिए अधिक संख्या में प्रदर्शकों को अवसर प्रदान करेगा ।

(घ) और (ङ): फिलहाल, मेले की अवधि को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। आईआईटीएफ एक 14-दिवसीय प्रदर्शनी है जिसे मेले में आगंतुकों और उद्योग के हित को बनाए रखने के लिए एक इष्टतम अवधि माना जाता है।

अनुबंध-I

आईआईटीएफ, 2022 में भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम
1	आंध्र प्रदेश
2	असम
3	बिहार
4	चंडीगढ़
5	छत्तीसगढ
6	दिल्ली
7	गोवा
8	गुजरात
9	हरियाणा
10	हिमाचल प्रदेश
1 1	जम्मू और कश्मीर
12	झारखंड
13	कर्नाटक
14	केरल
15	लद्दाख
16	मध्य प्रदेश
17	महाराष्ट्र
18	मणिपुर
19	नागालैंड
20	ओडिशा
21	पंजाब
22	पुड्डुचेरी
23	राजस्थान
24	सिक्किम
25	तमिलनाडु
26	त्रिपुरा
27	उत्तर प्रदेश
28	उत्तराखंड
29	पश्चिम बंगाल

अनुबंध-II

आईआईटीएफ ' 2022-मंत्रालयों/सरकारी विभागों की सूची

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1	भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड
2	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
3	केनरा बैंक
4.	आईपीआर संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम)
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
6	केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी)
7	केंद्रीय भूजल बोर्ड
8	केंद्रीय भंडारण निगम
9	नारियल विकास बोर्ड
10	कॉयर बोर्ड
1 1	दामोदर घाटी निगम
12	कृषि और किसान कल्याण विभाग
13	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
14	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
15	करदाता सेवा महानिदेशालय
16	आयकर निदेशालय (मुद्रण, प्रकाशन एवं प्रचार)
17	फिट इंडिया मिशन
18	हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड
19	इंडियन बैंक
20	संयुक्त संयंत्र समिति
21	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
22	भारतीय जीवन बीमा निगम
23	आयुष मंत्रालय
24	संचार मंत्रालय, डाक विभाग
25	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
26.	रेल मंत्रालय
27.	पर्यटन मंत्रालय
28.	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड)

29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी)
30.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
31.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज
32.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड
33.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम
34	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी)
35.	नीपको लिमिटेड
36.	एनएचपीसी लिमिटेड
37.	एनटीपीसी लिमिटेड
38.	विकास आयुक्त का कार्यालय (एमएसएमई),
39.	भारतीय औषधीय और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो
40.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
41.	पंजाब नेशनल बैंक
42.	आरईसी लिमिटेड
43.	भारतीय रिजर्व बैंक
44.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
45.	भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
46.	एसजेवीएन लिमिटेड
47.	मसाला बोर्ड भारत
48.	भारतीय स्टेट बैंक
49.	चाय बोर्ड
50.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
51.	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड)
52.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
53.	भण्डारण विकास नियामक प्राधिकरण

अनुबंध- III

प्रदर्शन पश्चात रिपोर्ट

आयोजन का नाम	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ)
संस्करण	41 वां संस्करण
दिनांक	14-27 नवंबर, 2022
सकल क्षेत्र	लगभग 73,000 वर्ग मीटर
निवल प्रदर्शनी क्षेत्र	38,009 वर्ग मीटर
प्रदर्शक	
प्रदर्शकों की कुल संख्या	लगभग 3200
राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के पेवेलियनों की संख्या	29
सरकारी मंत्रालयों/विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ आदि की संख्या	53
देशों की संख्या	13
विदेशी प्रतिभागियों की संख्या	57
एमएसएमई की संख्या	1258
महिला उद्यमियों की संख्या	675
कारीगरों की संख्या	425
आगंतुक	
आगंतुकों की कुल संख्या	10 लाख लगभग
व्यवसाय आगंतुक	66057
विदेशों के व्यापारी आगंतुक	328